बलिया गोलीकांड के मुख्य आरोपी को 48 घंटे की पुलिस रिमांड

हथियार बरामदगी को आधार बनाकर सात दिन की रिमांड मांगी थी

बलिया (उप्र), 21 अक्तूबर (भाषा)।

उत्तर प्रदेश में बलिया जिले की एक अदालत ने रेवती क्षेत्र के दुर्जनपुर गांव में पिछले गुरुवार को सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के आबंटन के दौरान एक व्यक्ति की हत्या करने के मामले में मुख्य आरोपी धीरेंद्र प्रताप सिंह को 48 घंटे की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।

रेवती थाना क्षेत्र के दुर्जनपुर ग्राम में पिछले दिनों सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के आबंटन के दौरान एक व्यक्ति की हत्या के मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय ने बुधवार को मुख्य आरोपी धीरेंद्र प्रताप सिंह को पुलिस रिमांड पर देने की अर्जी स्वीकार करते हुए अभियुक्त को 48 घंटे की पुलिस रिमांड में भेज दिया।

पुलिस ने अदालत में धीरेंद्र की सात दिन की रिमांड की अर्जी दाखिल की थी। मुख्य आरोपी से घटना में प्रयुक्त असलहा की बरामदगी को रिमांड का आधार बनाया गया है। इस बीच, पुलिस ने रेवती गोलीकांड मामले में मुख्य आरोपी धीरेंद्र प्रताप सिंह के निकट संबंधी धर्मेंद्र सिंह को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। धर्मेंद्र इस हत्याकांड में नामजद आरोपी नहीं है।

थाना प्रभारी प्रवीण सिंह ने बताया कि इस मुकदमे में आठ लोगों के विरुद्ध नामजद तथा 20 से 25 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया था। धर्मेंद्र सिंह अज्ञात आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने अब तक इस मामले में पांच नामजद तथा छह अज्ञात आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है।

बलिया जिले के रेवती थाना क्षेत्र के दुर्जनपुर ग्राम में पिछले गुरुवार को सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के आबंटन के दौरान गोली चलने से जयप्रकाश पाल नामक व्यक्ति की मौत हो गई थी तथा कई लोग घायल हो गए थे। राज्य पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने मामले के मुख्य आरोपी धीरेंद्र को रविवार को लखनऊ में गिरफ्तार किया था।

'युवाओं को कट्टरपंथी बनने से रोकने के उपाय करने होंगे'

श्रीनगर, 21 अक्तूबर (भाषा)।

जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश में युवाओं को कट्टरपंथ के रास्ते पर जाने से रोकने के लिए व्यापक उपाय किए जाने का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि हजारों मील दूर से आतंकी तत्व दुष्प्रचार के जरिए समाज के एक बड़े तबके में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

उपराज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि आतंकवादी संगठनों द्वारा किसी व्यक्ति की सोच को बदलने के बाद उसे हथियार उठा लेने के लिए राजी कर लेने तक यह प्रक्रिया सीमित नहीं है, बल्कि आतंकी तत्व काफी तीव्र गति से ऑनलाइन और ऑफलाइन दुष्प्रचार के जरिए हजारों मील दूर से समाज के एक बड़े हिस्से में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि कट्टरपंथ–रोधी उपायों के तहत एक बखूबी समन्वित, समुदाय समर्थित मंच अवश्य होना चाहिए, ताकि आतंकवाद की विचारधारा के खिलाफ सही विचारों का प्रचार किया जा सके।

सिन्हा ने कहा, 'कट्टरपंथ को रोकने और इसे घटाने पर हमारी रणनीति अवश्य ही समावेशी होनी चाहिए तथा शांति, समृद्धि एवं सौहार्द के संदेश को बढ़ावा देने के लिए समुदाय के प्रमुख लोगों को शामिल करना चाहिए।' उन्होंने सीमा पार से आतंकवाद को मिलने वाले धन को रोकने के लिए रणनीति में नियमित रूप से बदलाव करने की अपील की। उन्होंने कहा, 'ऐसा कर हम व्यापक प्रतिक्रिया के जरिये इससे निपट सकेंगे।' उन्होंने कहा कि साइबर निगरानी और 'डार्क वेब' की दुर्भावनापूर्ण सामग्री पर 24 घंटे निगरानी एक और चुनौती है। डार्क वेब, इंटरनेट का वह हिस्सा है, जो सर्च इंजन में नहीं दिखता है।

सिन्हा ने जम्मू कश्मीर पुलिस की सराहना करते हुए कहा, 'जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था की स्थिति कायम रखने के अलावा, आप हमारे पड़ोसी देश द्वारा जारी आतंकी गतिविधियों से भी लड़ रहे हैं।'

रावत ने शहीद कोष के लिए 75 लाख मंजूर किए

देहरादून, 21 अक्तूबर (भाषा)।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुधवार को शहीद कोष के लिए 75 लाख रुपए मंजूर किए और सहायक उपनिरीक्षक व निरीक्षक के वर्दी भत्ते में 1000 रुपए की वृद्धि की घोषणा की।

यहां पुलिस स्मृति परेड में शहीद स्मारक पर पुलिस व अर्द्धसैन्य बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद मुख्यमंत्री रावत ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा व कानून व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व निभाते हुए पुलिसकर्मियों को अपने जीवन की आहुति भी देनी पड़ती है।

उन्होंने बताया कि पिछले एक साल में भारत में 265 अर्द्धसैनिक बल व पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं जिसमें उत्तराखंड पुलिस के शहीदों की संख्या छह है। उन्होंने ड्यूटी के दौरान प्राणों को न्योछावर करने वाले इन पुलिसकर्मियों को सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के शहीद पुलिसकर्मियों और अर्द्धसैन्य बलों के जवानों के परिजनों को सम्मानित भी किया।

भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का निधन

बंगलुरु, 21 अक्तूबर (भाषा)।

भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर (अवकाश प्राप्त) विजयलक्ष्मी रमणन का निधन हो गया है। वह 96 साल की थीं।

उनके दामाद एसएलवी नारायण ने बताया कि विशिष्ट सेवा पदक (वीएसएम) से सम्मानित डॉ. रमणन का रविवार को आयु संबंधी बीमारियों के कारण निधन हो गया। उन्होंने यहां अपनी बेटी के घर में अंतिम सांस ली। रमणन का जन्म फरवरी 1924 में हुआ था। एमबीबीएस करने के बाद वह 22 अगस्त, 1955 को सेना की मेडिकल कोर में शामिल हो गई थीं। उन्हें उसी दिन वायुसेना में स्थानांतरित कर दिया गया था।

उन्होंने वायुसेना के विभिन्न अस्पतालों में स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में काम किया। उन्होंने युद्धों के दौरान घायल हुए सैनिकों का भी इलाज किया और प्रशासनिक दायित्वों को भी अंजाम दिया। अगस्त 1972 में उन्हें विंग कमांडर की रैंक के रूप में पदोन्नति मिली थी। पांच साल बाद उन्हें विशिष्ट सेवा पदक मिला था। फरवरी 1979 में वह सेवानिवृत्त हो गई थीं। उनके पति दिवंगत केवी रमणन भी भारतीय वायुसेना के अधिकारी थे। उनके परिवार में एक पुत्र और एक पुत्री है। रमणन कर्नाटक संगीत में भी प्रशिक्षित थीं। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने आकाशवाणी कलाकार के रूप में भी काम किया।

POST-OFFER PUBLIC ANNOUNCEMENT

IN TERMS OF REGULATION 18(12) OF SEBI (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011 FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS OF

BALU FORGE INDUSTRIES LIMITED

(Formerly known as Amaze Entertech Limited)
(Corporate Identification Number: L29100MH1989PLC255933)
Registered Office: 156,1st Floor, Raghuleela Mega Mall, Poisar Gymkhana Road, Kandivali (West), Mumbai-400067, Maharashtra, India.
Tel. No. +91-8655075578, **Email:** amazeentertech@gmail.com; **Web:** www.amazeentertechlimited.com

This advertisement ("**Post Offer PA**") is being issued by Systematix Corporate Services Limited ("**Manager to the Offer**") on behalf of Mr. Jaspalsingh Prehladsingh Chandock ("**Acquirer**") alongwith persons acting in concert ("**PAC**"), namely Mr. Trimaan Jaspalsingh Chandock ("**PAC 1**") and Mr. Jaikaran Jaspalsingh Chandock ("**PAC 2**") (**PAC 1 and PAC 2 are jointly referred to as the "PACs"**) pursuant to Regulation 18(7) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 as amended (the "**SEBI (SAST) Regulations**") in respect of the Open Offer ("**the Offer**") to acquire upto **2,02,51,400** fully paid-up equity shares of **Rs.10/-** each (the "**Equity Shares**") at a price of Rs. 10/- per Equity Share (the "**Offer Price**"), representing 26.03% of the Diluted Share and Voting Capital of Amaze Entertech Limited the "**Target Company**"). The Detailed Public Statement ("**DPS**") with respect to the aforementioned Offer was published on August 10, 2020 in the following newspapers:

Sl. No.	Newspapers	Language	Editions
1.	The Financial Express	English	All Editions
2.	Jansatta	Hindi	All Editions
3.	Mumbai Lakshadeep	Marathi	Mumbai Edition

The terms used but not defined in this Post-Offer PA shall have the same meanings assigned to them as in the PA, the DPS, the Letter of Offer (LOF), Corrigendum to the LOF and the Offer Opening PA.

The Shareholders of the Target Company are requested to kindly note the following information relating to the Offer:

1. Name of the Target Company : Amaze Entertech Limited
2. Name of the Acquirer and PACs : Mr. Jaspalsingh Prehladsingh Chandock ("**Acquirer**"), Mr. Trimaan Jaspalsingh Chandock ("**PAC 1**") and Mr. Jaikaran Jaspalsingh Chandock ("**PAC 2**")
3. Name of the Manager to the Offer : Systematix Corporate Services Limited
4. Name of the Registrar to the Offer : Skyline Financial Services Private Limited
5. Offer Details
   Date of Opening of the Offer : Thursday, September 24, 2020
   Date of Closure of the Offer : Thursday, October 08, 2020
6. Date for communicating the rejection / acceptance of Equity Shares in the Offer and /or corresponding payment for the acquired Equity Shares and / or refund or credit of the rejected share certificate(s) or Equity Shares to corresponding Shareholders or accounts holders : Friday, October 16, 2020
7. Details of Acquisition

Sl. No.	Particulars	Proposed in the Offer Document		Actuals	
7.1	Offer Price • Fully Paid-up Shares • Partly Paid-up Shares	Rs. 10.00 Not applicable		Rs. 10.00 Not applicable	
7.2	Aggregate number of shares tendered	2,02,51,400		90	
7.3	Aggregate number of shares accepted	2,02,51,400		10#	
7.4	Size of the Offer (Number of shares multiplied by Offer Price per share).	Rs. 20,25,14,000		Rs. 100	
7.5	Shareholding of the Acquirer and the PACs before Agreement / Public Announcement • Number • % of total Diluted Share & Voting Capital	NIL NIL		NIL NIL	
7.6	Shares acquired by the Acquirer and the PACs by way of Agreements* • Number • % of total Diluted Share & Voting Capital	5,45,26,050 (70.07%)		5,45,26,050 (70.07%)	
7.7	Shares acquired by way of Open Offer by the Acquirer and the PACs • Number • % of total Diluted Share & Voting Capital	2,02,51,400 (26.03%)		10 (0.00%)	
7.8	Shares acquired by the Acquirer and the pacs after Detailed Public Statement • Number of shares acquired • Price of the shares acquired • % of the shares acquired	NIL		NIL	
7.9	Post offer shareholding of the Acquirer and the PACs • Number • % of total Diluted Share & Voting Capital	7,47,77,450 (96.10%)		5,45,26,060 (70.07%)	
7.10	Pre & Post offer shareholding of the Public • Number • % of total Diluted Share & Voting Capital	Pre-Offer 23,288,950 (29.93%)	Post-Offer 3,037,550 (3.90%)	Pre-Offer 23,288,950 (29.93%)	Post-Offer 23,288,940 (29.93%)

**Agreements means the BSA and SPA as defined in the PA, the DPS and the LOF.*

# During the tendering period the RTA had received 80 Physical Shares at their Delhi branch. However, it was found that the shareholder(s) had not placed the bid on the Acquisition Window, hence the same was rejected and returned to the shareholder(s) on October 16, 2020.

8. Post Open Offer, the Acquirer and the PACs collectively hold 54,526,060 Equity Shares aggregating to 70.07% of the Diluted Share & Voting Capital of the Target Company.
9. Post acquisitions of Open Offer, BSA and the SPA Shares by the Acquirer and the PACs, it is found that the minimum public shareholding (MPS) as required under Regulation 38 of the Listing Regulations read with Rule 19A(1) of SCRR has remain been maintained in the Target Company.
10. Name of the Company has been changed to 'Balu Forge Industries Limited' vide fresh certificate of incorporation dated September 30, 2020 issued by Registrar of Companies, Mumbai, Maharashtra. Pursuant to change in object clause CIN of the Company has changed to L29100MH1989PLC255933.
11. The Acquirer and the PACs severally and jointly accept full responsibility for the information contained in this Post-Offer PA and also for the obligations as laid down in the SEBI (SAST) Regulations.
12. A copy of this Post-Offer PA is expected to be available on the SEBI website at http://www.sebi.gov.in

ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER ON BEHALF OF THE ACQUIRER AND THE PACS

SYSTEMATIX GROUP
Investments Re-defined

Systematix Corporate Services Limited
SEBI Registration No. INM 000004224
The Capital, A-Wing, 6th Floor, No. 603-606, Plot No. C-70, G-Block,
Bandra-Kurla Complex (BKC), Bandra (East), Mumbai 400 051, Maharashtra, India.
Telephone: +91-22-6704 8000; **Facsimile:** +91-22-6704 8022
Email: ecm@systematixgroup.in; **Website:** www.systematixgroup.in
Contact Person: Mr. Amit Kumar

Signed by the Acquirer and the PACs
Sd/-
Mr. Jaspalsingh Prehladsingh Chandock
Sd/-
Mr. Trimaan Jaspalsingh Chandock
Sd/-
Mr. Jaikaran Jaspalsingh Chandock

Date: October 21, 2020
Place: Mumbai

सार्वजनिक घोषणा

भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 12(3) के साथ पठित विनियम 31(2) के अनुरूप) के मामले में

आधार श्री इन्फ्राटैक प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में)

(CIN: U45400DL2013PTC260104) के हितधारकों के ध्यानार्थ

विनियमन 31 (2) भारतीय दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड ऑफ इंडिया (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम 2016 के विनियमन 12 (3) के अनुसार, एतद्वारा सूचित किया जाता है कि **आधार श्री इन्फ्राटैक प्राइवेट लिमिटेड** – परिसमापन में ("कॉर्पोरेट देनदार") के हितधारकों की सूची परिसमापक द्वारा तैयार की गई है, जिसे माननीय राष्ट्रीय विधि अधिकरण, नई दिल्ली के पास **21 अक्टूबर, 2020** को दायर की गई है।

चूंकि कंपनी (कॉर्पोरेट देनदार) की कोई कार्यात्मक वेबसाइट नहीं है, इसलिए परिसमापक की सूची परिसमापक द्वारा प्रदत्त दावों की राशि का पूरा विवरण दिखाती है, जो दावे सुरक्षित / असुरक्षित हैं, परिसमापक के कार्यालय में निरीक्षण के लिए **8 / 28,डब्ल्यूईए, अब्दुल अजीज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली –110005** में उपलब्ध होंगे। कॉर्पोरेट देनदार के हितधारकों की सूची के संबंध में किसी भी पूछताछ के लिए **liquidator.aadhaarshri@gmail.com** पर संबोधित किया जा सकता है।

हितधारकों को आगे अधिसूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय विधि अधिकरण, नई दिल्ली के पास दायर की गई हितधारकों की प्रविष्टियों में किसी भी संशोधन को केवल माननीय राष्ट्रीय विधि अधिकरण, नई दिल्ली से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत की जा सकती है।

हस्ता/-
भूपेश गुप्ता
परिसमापक -आधार श्री इन्फ्राटैक प्राइवेट लिमिटेड
पंजीकृत संख्या : IBBI/IPA-001 /IP-P01468/2018-2019/12271
पता: 8 / 28,डब्ल्यूईए, अब्दुल अजीज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली –110005

दिनांक : 22.10.2020
स्थान : नई दिल्ली

प्रपत्र – 'जी'
अभिरुची की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण

{दिवाला और ऋण शोध अक्षमता (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36क(1)के अधीन}

	प्रासंगिक विवरण	
1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	**मैसर्स इंटरनेशनल कॉइल लिमिटेड**
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	02.07.2004
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित / पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज– दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान / संख्या सीमित दायित्व पहचान संख्या	U29192DL2004PLC127325
5.	कार्परेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	**रजिस्टर्ड ऑफिस:** मैसर्स इंटरनेशनल कॉइल लिमिटेड, ए –21 / 24, नरैना इंडस्ट्रीयल एरिया फेज II, नई दिल्ली –110028
6.	कार्पोरेट देनदार की ऋण शोध अक्षमता आरम्भ की तिथि	16.12.2019 (आदेश की प्राप्ति की तिथि 10.01.2020)
7.	अभिरुची की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि	22.10.2020 (अभिरूची की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण का विस्तृत विवरण WWW.LLCAIRP.COM से डाउनलोड कर सकते है।
8.	संहिता की धारा 25(2)(ज) के अधीन समाधान आवेदकों की ग्राह्यता:	WWW.LLCAIRP.COM
9.	धारा 29क के अधीन अयोग्यता के मानदंड यहाँ पर उपलब्ध हैं:	WWW.LLCAIRP.COM
10.	अभिरुची की अभिव्यक्ति की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि	06.11.2020
11.	संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	12.11.2020
12.	अंतिम सूची के बारे में आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	17.11.2020
13.	संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	27.11.2020
14.	संभावित समाधान आवेदकों को सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा समाधान योजना हेतु अनुरोध जारी करने की तिथि	17.11.2020
15.	समाधान योजना हेतु अनुरोध, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना ज्ञापन तथा अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने की विधि	ईमेल के माध्यम से अनुरोध करें ICL.RP@LLCA.NET
16.	समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	17.12.2020
17.	रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल को समाधान योजना दाखिल करने की विधि	स्पीड पोस्ट के द्वारा या व्यक्तिगत रूप से सीरियल नंबर 21 पर दिए गए पते पर सीलबंद लिफाफे में या ई–मेल के माध्यम से ICL.RP@LLCA.NET पर
18.	निर्णायक प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अनुमानित तिथि	05.01.2021
19.	समाधान प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर	**शालू खन्ना** IBBI/IPA-001/IP-P00917/2017-2018/11523
20.	समाधान प्रोफेशनल का नाम, पता और ई–मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है	**शालू खन्ना,** ए–16 / 9, वसंत विहार, नई दिल्ली –110057, SKHANNA@LLCA.NET
21.	पता और ई–मेल, जो समाधान प्रोफेशनल के साथ पत्राचार के लिए प्रयुक्त किया जाना है	**लूथरा एण्ड लूथरा रीस्ट्रक्चरिंग एण्ड इन्सोल्वेंसी एडवाइजर्स एलएलपी,** ए–16 / 9, वसंत विहार, नई दिल्ली–110057 ICL.RP@LLCA.NET
22.	अतिरिक्त विवरण पर अथवा के पास उपलब्ध है	ईमेल के माध्यम से अनुरोध करें ICL.RP@LLCA.NET
23.	प्रपत्र 'जी' के प्रकाशन की तिथि	22.10.2020

हस्ता / –
शालू खन्ना
रजिस्ट्रेशन नंबर.:IBBI/IPA-001/IP-P00917/2017-2018/11523
पंजी. पता: ए–16 / 9, वसंत विहार, नई दिल्ली–110057
मैसर्स इंटरनेशनल कॉइल लिमिटेड के लिए

दिनांक: 21.10.2020
स्थान: नई दिल्ली

मैग्नम वेन्चर्स लिमिटेड

CIN: L21093DL1980PLC010492
पंजी. कार्यालयः ऑफिस नं. 205, 2रा तल, बिल्डिंग नं. 4326, गली नं. 3,
अंसारी रोड, दरियागंज, दिल्ली–110002
वेबसाईटः www.magnumventures.in, ई–मेल आईडी :
magnumventures@gmail.com
फोनः 0120–4199223

40वीं वार्षिक साधारण सभा, पुस्तक बंद होने तथा रिमोट ई–वोटिंग जानकारी के लिये सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों की 40वीं वार्षिक साधारण सभा ('एजीएम') मंगलवार, 10 दिसम्बर, 2020 को 11.00 बजे पूर्वा. में वीडियो कांफ्रेंसिंग (''वीसी'') के माध्यम से आयोजित की जाएगी जिसमें उक्त वार्षिक साधारण सभा के आयोजन की सूचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा। 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना ऐसे सभी सदस्यों को भेज दी गई है जो अभिलिखित तिथि अर्थात् 16 अक्टूबर, 2020 को शेयर धारित करते हैं। यह उन सदस्यों को ई–मेल द्वारा भेजी गई है जिनके ईमेल आईडी कम्पनी/आरटीए/डिपॉजिटरी(ज) के पास दर्ज है। ई–मेल द्वारा सूचना भेजने का कार्य 20 अक्टूबर, 2020 को पूरा कर लिया गया है। उक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाईट www.magnumventures.in पर भी देखी जा सकती है।

यदि आपने अपना ई–मेल पता कम्पनी/डिपॉजिटरी के पास दर्ज नहीं कराया है तो वित्त वर्ष 2019–20 हेतु वार्षिक रिपोर्ट एवं ई–वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण प्राप्त करने हेतु अपना ई–मेल पता पंजीकृत कराने के लिए निम्नलिखित निर्देशों का पालन करें।

भौतिक धारिता : अपना ई–मेल पता पंजीकृत कराने हेतु फोलियो नम्बर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन्ड प्रति (आगे तथा पीछे), पैन (स्वयं सत्यापित पैन कार्ड की स्कैन्ड प्रति), आधार (स्वयं सत्यापित आधार कार्ड की स्कैन्ड प्रति) उपलब्ध कराते हुए कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेंट मास सर्विसेज लिमिटेड के पास info@masserv.com पर निवेदन भेजें। यदि पहले से पंजीकृत न हों तो फोलियो नं. का उल्लेख करते हुए पत्र सहित मूल कैंसिल्ड चेक के साथ अपने बैंक का विवरण हमारे आरटीए (अर्थात मास सर्विसेज लिमिटेड, टी–34, दूसरा तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज–II, नई दिल्ली–110020) के पास भेजें।

डीमैट धारिता : कृपया अपने डिपॉजिटरी भागीदार (डीपी) से सम्पर्क करें और डीपी की सलाह के अनुसार प्रक्रिया का पालन करके अपना ई–मेल पता पंजीकृत करायें। कृपया कम्पनी द्वारा घोषित करने की स्थिति में एनएसीएच द्वारा लाभांश प्राप्त करने के लिए अपना बैंक विवरण भी अपडेट करायें।

एतद्द्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 42 के अनुपालन में सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें 4 नवम्बर, 2020 से 10 नवम्बर, 2020 (दोनों दिवस सहित) तक एजीएम के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

पुनः कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 तथा सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 44 के साथ कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में यह कम्पनी अपने सदस्यों को निष्पादित किये जाने वाले सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान करने के लिये सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इण्डिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा उनके पोर्टल www.evotingindia.com के माध्यम से ई–वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करा रही है।

सदस्यगण कृपया निम्नलिखित का ध्यान रखें:

क) रिमोट ई–वोटिंग शनिवार, 7 नवम्बर, 2020 को 9.00 बजे पूर्वा. में शुरू होगी तथा सोमवार, 10 नवम्बर, 2020 को 5.00 बजे अप. में बंद होगी। उपरोक्त तिथि एवं समय के बाद रिमोट ई–वोटिंग सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।
ख) रिमोट ई–वोटिंग तथा एजीएम में मत–पत्र द्वारा मतदान के लिये सदस्यों की पात्रता सुनिश्चित करने के लिये कट–ऑफ तिथि 3 नवम्बर, 2020 है।
ग) यदि कोई व्यक्ति सभा की सूचना के प्रेषण के बाद कम्पनी का सदस्य बनते हैं तथा कट–ऑफ तिथि अर्थात् 3 नवम्बर, 2020 को शेयर धारित करते हैं, वे मै. एमएएस सर्विसेस लि., कम्पनी के आरएंडटी एजेन्ट से टी–34, 2रा तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज–II, नई दिल्ली–110020 में फोन नं.–011–26387281/82/83, फैक्सः 011–26387384, ई–मेल–info@masserv.com पर सम्पर्क कर यूजर आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त कर सकते हैं।
घ) हालांकि यदि सदस्य रिमोट ई–वोटिंग हेतु सीडीएसएल के साथ पहले से पंजीकृत हैं वे अपना मतदान करने हेतु अपने वर्तमान यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। इसके पश्चात मतदान के लिए रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल सीडीएसएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जायेगा।
ङ) सदस्य द्वारा किसी संकल्प पर एक बार मतदान करने के उपरान्त उसे बाद में परिवर्तित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
च) एजीएम के दौरान ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी और जो सदस्य एजीएम से पूर्व रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपन मतदान करते हैं वे एजीएम में शामिल हो सकते हैं, किन्तु उन्हें एजीएम में दुबारा मतदान करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
छ) सदस्यगण एजीएम की सूचना में दी गई ई–वोटिंग के निर्देशों को देखें अथवा https://evotingindia.com देखें तथा ई–वोटिंग से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की पूछताछ/शिकायत के लिये श्री मोहित कुमार गोयल, कम्पनी सचिव, मैग्नम वेंचर्स लिमिटेड से cs_mvl@outlook.com अथवा श्री श्रवण मंगला, महाप्रबन्धक, एमएएस सर्विसेज लिमिटेड, आरटीए से info@masserv.com पर सम्पर्क कर सकते हैं।
ज) ई–वोटिंग प्रक्रिया के लिए संवीक्षक के रूप में सीएस विजय कुमार शर्मा (सदस्यता सं. F9924 तथा सीपी सं. 12387), साझेदार, मैसर्स मुनीश के. शर्मा एण्ड एसोसिएट्स, कम्पनी सचिव को नियुक्त किया गया है।

मैग्नम वेन्चर्स लिमिटेड के लिये
हस्ता./–
प्रदीप कुमार जैन
प्रबंध निदेशक,
DIN: 00024879

स्थानः गाजियाबाद,
तिथिः 20.10.2020

HDB FINANCIAL SERVICES
From the trusted family of HDFC Bank

पंजीकृत कार्यालयः राधिका, 2रा तल, लॉ गार्डन रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद–380009
शाखा कार्यालयः एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस, खसरा नं. 47, 2रा तल, दशहरा मैदान के सामने,
बुडेल्ला, ऑक्सफोर्ड स्कूल के निकट, विकासपुरी, नई दिल्ली–110018

सरफैसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत ई–नीलामी बिक्री सूचना

कम्पनी के बकाये की वसूली के लिये ''जैसा है जहाँ है आधार'' तथा ''जो भी वहाँ है आधार'' पर उसकी बिक्री करने के अधिकार के साथ निम्न ऋण खाताओं में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी सूचना के अनुसार एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने निम्न सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

1. ऋणधारक/को एवं गारन्टर/रों का नाम एवं पता 2. कुल बकाया + ब्याज	सम्पत्ति का विवरण	1. ई–नीलामी की तिथि एवं समय 2. ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 3. सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय	1. आरक्षित मूल्य 2. सम्पत्ति का ईएमडी
मै. जे बी के डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड (द्वारा उसके निदेशकों) बी–21–22, सेक्टर 16, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201301 साथ हीः मै. जेबीके डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड (द्वारा उसके निदेशकों) बी–30, गामा–1, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश–201301, साथ हीः मै. जेबीके डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड (द्वारा उसके निदेशकों), 99, पटपड़गंज, नई दिल्ली–110091, श्रीमती कविता चौधरी, बी–21–22, सेक्टर 16, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201301, साथ हीः श्रीमती कविता चौधरी, बी–30, गामा–1, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश–201310, श्री संजय कुमार, बी–21–22, सेक्टर 16, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201301, साथ हीः श्री संजय कुमारः बी–30, गामा–1, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश–201310, श्री मनोज कुमार चौधरी, बी–21–22, सेक्टर 16, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201301, साथ हीः श्री मनोज कुमार चौधरी, बी–30, गामा–1, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश–201310, मै. आर डी फिनलीज प्राईवेट लिमिटेड (द्वारा उसके निदेशकों) बी–21–22, सेक्टर 16, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201301, साथ हीः मै. आरडी फिनलीज प्राईवेट लिमिटेड (द्वारा उसके निदेशकों), 1110, मैन बाजार, पहाड़गंज, नई दिल्ली–110055, मै. एयरबिल बिजनेस पार्क प्रा.लि. (द्वारा उसके निदेशकों), बी–21–22, सेक्टर 16, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201301, साथ हीः मै. एयरबिल बिजनेस पार्क प्रा.लि., (द्वारा उसके निदेशकों), एम–167, विकासपुरी, सिंडिकेट बैंक के निकट, नई दिल्ली–110018, ऋण सं.: 1039112, कुल बकायाः रु. 61252845/– (रुपये छः करोड़ बारह लाख बावन हजार आठ सौ पैंतालिस मात्र) द्वारा ऋणखाता सं. 1039112, 23.11.2017 तक तथा सम्पूर्ण भुगतान की तिथि तक 18% प्रतिवर्ष की दर से आगे का ब्याज, अनुषांगिक चार्जेज, लागतों आदि।	आर.डी.फिनलीज प्राईवेट लिमिटेड के नाम में दर्ज सम्पत्ति प्लॉट नं. बी–21–22, सेक्टर–16, सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन के निकट, नोएडा–201301, माप 10953 वर्ग फीट का सभी भाग तथा हिस्सा, चौहद्दीः उत्तरः रोड, दक्षिणः प्लॉट नं. 20, पूर्वः 50 फीट रोड, पश्चिमः कोटक बैंक	1) ई–नीलामी की तिथिः 13.11.2020 को 10.30 पूर्वा. से 11.30 बजे पूर्वा. तक 5 मिनट के आगे विस्तार के साथ। 2) केवाईसी के साथ ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथिः 11.11.2020 के 5 बजे अप. तक 3) निरीक्षण की तिथिः 9.11.2020 को 11.00 बजे अप. से 2 बजे अप. आईएसटी	आरक्षित मूल्य (आईएनआर में) रु. 11,30,00,000/– (रुपये ग्यारह करोड़ तीस लाख मात्र) ईएमडी राशि (आईएनआर में) रु. 1,13,00,000/– (रुपये एक करोड़ तेरह लाख मात्र)

इच्छुक बोलीदाताओं से आग्रह है कि शाखा में जाकर नीलामी की संपत्ति का निरीक्षण करें तथा प्रभारों, अधिभारों की जानकारी प्राप्त करें। क्रेता अपने स्वयं की पूछताछ करें तथा अतिरिक्त प्रभारों, अधिभारों तथा सभी दृष्टियों पर किसी भी तृतीय पार्टी के हितों की जांच कर स्वयं को संतुष्ट कर लें। सभी सांविधिक बकाए जैसे संपत्ति कर, बिजली बकाये तथा संपत्ति से जुड़ी अन्य बकाए, यदि कोई हो का भुगतान सफल बोलीदाता/संभावित क्रेता को ही करना होगा। उनके स्वयं के हित में बोलीदाता/संभावित क्रेताओं से अनुरोध है कि अपनी बोली जमा करने से पूर्व उपरोक्त के संदर्भ में तथा संपत्ति से संबंधित अन्य विवरणों के विषय अपने स्वयं के हित में जांच करके संतुष्ट हो लें।

ऑन लाइन निविदा/ नीलामी के नियम एवं शर्तें

1. यह नीलामी https://sarfaesi.auctiontiger.net या Auction Tiger Mobile APP द्वारा 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ ऊपर तालिका में वर्णित तिथि को ''ऑन लाइन ई नीलामी'' बोली होगी।
2. इच्छुक बोलीदाताओं को अग्रिम में पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा तथा लागिन आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त करना होगा जिसे सेवा प्रदाता मै. ई–प्रॉक्योर्मेन्ट टेक्नोलॉजीज लि. (Auction Tiger) अहमदाबाद (टेली.: 079–68135416/17/18) सम्पर्क व्यक्ति श्री कुशल कोठारी, सेल नं. 9978591888, ईमेलः Kushal@auctiontiger.net, सम्पर्क व्यक्तिः श्री नितीश झा, मो. 7982880393 ई–मेलः haryana@auctiontiger.net, delhi@auctiontiger.net, फैक्सः 079–40230847, support@auctiontiger.net से प्राप्त किया जा सकता है जो ई–बोली के लिये जरूरी है। कृपया ध्यान रहे कि संभावित बोलीदाता अपने पंजीकृत मोबाईल नम्बर से ही ई–नीलामी पर ऑन लाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
3 इच्छुक क्रेता/ बोलीदाता को ऊपर वर्णित तिथि एवं समय को (कृपया ऊपर तालिका में वर्णित विवरण देखें) ''एचडीबी फाइनांसिल सर्विसेस लिमिटेड'' के पक्ष में देय पीएआर/नई दिल्ली में भुगतान योग्य किसी राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित बैंक के डिमांड ड्राफ्ट या पे आर्डर द्वारा अथवा ''HDBFS GENERAL COLLNS'', खाता नं. 00210310002748, आईएफएससी कोड- HDBC0000021, एमआईसीआर कोडः MICR500240002, शाखाः लकडी का पुल, हैदराबाद की खाता में एनईएफटी/ आरटीजीएस द्वारा धरोहर राशि भुगतान (ईएमडी) की राशि जमा करना होगा तथा https://sarfaesi.auctiontiger.net पर अपना नाम पंजीकृत कराना होगा तथा सेवा प्रदाता से निशुल्क यूजर आईडी एवं पास्वर्ड प्राप्त करना होगा तथा ई–नीलामी पर प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। वेबसाइट पर पंजीकरण के बाद इच्छुक क्रेता/ बोलीदाता को अधोलिखित दस्तावेजों की प्रतियों को अपलोड करना होगाः 1) एनईएफटी/ आरटीजीएस चालान/ डीडी/ पे आर्डर की प्रति. 2) पैन कार्ड की प्रति, तथा 3) आवास के प्रमाण (पास्पोर्ट, ड्राइविंग लाइसैन्स, वोटर आई–कार्ड या आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, पंजीकृत लीव लाईसैंस अनुबंध) की प्रति जिसे ऊपर तालिका में वर्णित रूप में ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि को या पूर्व वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा तथा साथ ही उन्हें हार्डकॉपी ऊपर वर्णित शाखा में जमा करना होगा।
4. बोली के साथ ऊपर वर्णित तिथि को या उससे पूर्व ''एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड'' के पक्ष में देय पीएआर/नई दिल्ली में भुगतान योग्य डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर द्वारा या ''HDBFS GENERAL COLLNS'', खाता नं. 00210310002748, आईएफएससी कोड- HDBC0000021, एमआईसीआर कोडः MICR500240002, शाखाः लकडी का पुल, हैदराबाद की खाता में एनईएफटी/ आरटीजीएस द्वारा ईएमडी (आरक्षित मूल्य के 10% के बराबर) को संलग्न किया जायेगा।
5. विधिवत रूप से नहीं भरी गई अथवा अंतिम तिथि के बाद प्राप्त की गई बोलियों को अवैध माना जायेगा तथा तत्काल निरस्त किया जायेगा। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा। बोलीदता द्वारा एक बार बोली जमा कर देने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकता है। यदि बोलीदाता बोली प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं तो उनके द्वारा जमा की गई ईएमडी आगे उपचार के बिना जब्त कर ली जायेगी। लेकिन, असफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई ईएमडी बिना ब्याज के वापस लौटा दी जायेगी।
6. जमा की गई बोली राशि रु. 10,000/– (रुपये दस हजार मात्र) की वृद्धि मूल्य के साथ आरक्षित मूल्य से ऊपर होगी तथा बोलीदाता रु. 10,000/– (रुपये दस हजार मात्र) के गुणक में अपने प्रस्ताव के सुधार कर सकते हैं। सम्पत्ति को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम में नहीं बेचा जायेगा।
7. सफल बोलीदाता को तत्काल किन्तु अधिकतम अगले कार्य दिवस तक ''एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड'' के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट जो पीएआर/नई दिल्ली में देय हो अथवा ''HDBFS GENERAL COLLNS'', खाता नं. 00210310002748, आईएफएससी कोड- HDBC0000021, एमआईसीआर कोडः MICR500240002, शाखाः लकडी का पुल, हैदराबाद की खाता में एनईएफटी/ आरटीजीएस द्वारा 25% बिक्री मूल्य (ईएमडी सहित) का भुगतान करना है तथा शेष बिक्री मूल्य का भुगतान सफल बोलीदाता को कम्पनी द्वारा बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिनों के भीतर किया जायेगा। इच्छुक बोलीदाता द्वारा प्रदत्त ईएमडी के साथ ही बिक्री मूल्य पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। यदि सफल बोलीदाता बिक्री की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं अथवा कोई चूक करते हैं तो जमा की गई ईएमडी या 10% बिक्री मूल्य, जैसा भी मामला हो, जब्त कर ली जायेगी।
8. बिक्री की शर्तों के अनुपालन पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में ''बिक्री प्रमाणपत्र'' जारी किया जायेगा। स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण चार्जेज, कान्वीयन्यस, टीडीएस आदि से संबंधित सभी खर्चे का वहन क्रेता को ही करना होगा।
9. यह कम्पनी प्रस्तावित सम्पत्ति के संदर्भ में किसी प्राधिकरण के अथवा प्रचलित किसी भी कानून के अंतर्गत स्वीकृत/ एनओसी प्राप्त करने अथवा अन्य कोई बकाया देयताओं जैसे बकाया पानी/ बिजली शुल्क, सम्पत्ति कर अथवा अन्य चार्जेज, यदि कोई हो, के लिये कोई उत्तरदायी नहीं लेता है।
10. सफल बोलीदाता को किसी विकास प्राधिकरण के लम्बित बकाये, यदि कोई हो/ करों/ नगर निगम अथवा अन्य किसी प्राधिकरण/ एजेन्सी के उपयोगिता बिलों तथा स्टाम्प शुल्क/ बिक्री प्रमाण पत्र के पंजीकरण के लिये पंजीकरण शुल्क आदि सहित सभी खर्चे का वहन करना होगा।
11. प्राधिकृत अधिकारी को बिना कारण बताये किसी या सभी प्रस्तावों/ बोलियों को स्वीकार या निरस्त करने अथवा बिक्री को स्थगित/ रद्द करने या बिना किसी पूर्व सूचना के बिक्री की किसी भी शर्तों को संशोधित करने का सम्प्रभु अधिकार प्राप्त है। अचल सम्पत्ति की बिक्री उच्चतम बोलीदाता को की जायेगी। लेकिन, प्राधिकृत अधिकारी को यदि वे आवश्यक समझें इंटर–से–बिडिंग की अनुमति अपनी इच्छा से देने का अधिकार प्राप्त है।
12. सर्वश्रेष्ठ ज्ञान एवं जानकारी में कंपनी को कंपनी को छोड़कर बेची जा रही संपत्ति पर किसी प्रकार के अधिभारों की जानकारी नहीं है। लेकिन, इच्छुक बोलीदाता अपनी संतुष्टि के लिए संपत्ति की स्वयं गणना कर लें। यह कंपनी उपरोक्त संपत्ति के फिटनेस के संदर्भ में कोई गारंटी नहीं देती है अथवा कोई प्रतिनिधित्व नहीं करती है। अन्य किसी भी जानकारी के लिए प्राधिकृत अधिकारी उक्त संपत्ति के संदर्भ में सरकार अथवा किसी अन्य किसी व्यक्ति के प्रति किसी चार्ज, लिएन, अधिभारों, संपत्ति कर अथवा अन्य किसी बकाए के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
13. आगे, उसकी वास्तविक वसूली तक लागू होने वाले, सूचना में वर्णित बकाया राशि पर ऋण दस्तावेजों के अनुसार ब्याज, अनुषांगिक खर्चे, लागतों जो देय एवं बकाया हो, की वसूली की जाएगी।
14. एतद्द्वारा ऋणधारकों(कों)/ मार्टगैजर(रों) को सूचित किया जाता है कि बिक्री के समय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहें तथा वे बिक्री के नियमों एवं शर्तों के अनुसार यहां उपरोक्त अचल संपत्ति की खरीद के लिए इच्छुक क्रेता/ खरीदार को प्रस्तुत कर सकते हैं।
15. वेबसाईट पर प्रस्ताव/ निविदा दस्तावेज के साथ उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर नीलामी प्रक्रिया में ऑन–लाइन ई–नीलामी भागीदारी अनिवार्य है। बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि अपनी बोली जमा करने तथा ई–नीलामी बिक्री प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व नीलामी बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए वेबसाइट https:///sarfacsi.auctiontiger.net देखें। ऑन लाइन बोली संगठन की उक्त वेबसाइट पर आयोजित होगी तथा निविदा दस्तावेज के नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी निविदा दस्तावेज तथा नीलामी के विस्तृत नियम एवं शर्तें वेबसाईट https:///sarfacsiauctiontiger.net से डाउनलोड की जा सकती है अथवा एचडीवी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड के संबंधित शाखा से प्राप्त की जा सकती है। संलग्नकों के साथ बोली प्रपत्र की प्रति ऑन लाइन (यूटीआर नंबर उल्लेख करते हुए) श्री विकास आनंद मोबाईल नं. 9711010384 के पास एचडीवी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड, पता–खसरा नं. 47, 2रा तल, दशहरा मैदान के सामने, वुडेल्ला, ऑक्सफोर्ड स्कूल के निकट, विकासपुरी, नई दिल्ली–110018 में ऊपर वर्णित तिथि एवं समय में या उससे पूर्व जमा की जा सकती है (कृपया ऊपर तालिका में वर्णित विवरणों को देखें।)
16) संपत्ति की बिक्री ''जैसा है जहां है तथा जो भी वहां है आधार'' पर की जाएगी तथा इच्छुक बोलीदाता कंपनी के चार्जेज के अतिरिक्त किसी प्राधिकरण के संपत्ति पर अधिभारों, चार्ज तथा सांविधिक बकायों के विषय में अपनी गोपनीय जांच कर लें तथा अपनी बोली जमा करने से पूर्व टाईटल, विस्तार, गुणवत्ता, संपत्ति की मात्रा के विषय में स्वयं को संतुष्ट कर लें। नीलामी पर रखी गई संपत्ति के संदर्भ में किसी प्रकार के दावे, संपत्ति पर चार्जेज, अधिभारों अथवा अन्य किसी मामले पर ऑन लाइन बोली जमा करने के बाद तथा किसी भी चरण में कोई विचार नहीं किया जाएगा। यह कंपनी क्षतियों अथवा एविक्शन कार्रवाई आदि सहित किसी भी विषय के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। इच्छुक बोलीदाता इस संदर्भ में टेनैन्ट्स के साथ ही साथ कम्पनी की क्षतिपूर्ति के लिये भी उत्तरदायी होंगे। क्रेता कानून के अनुसार ही टेनैन्ट के एविक्शन/टैनेन्ट के सैट्लमेन्ट के लिये जरूरी कार्रवाई करेंगे। यह कंपनी कैविएट एम्प्टर के सिद्धांत की सेवा में विश्वास रखती है।
17) यह प्रकाशन इस सूचना की तिथि से 15 (पन्द्रह) दिनों के भीतर अद्यतन ब्याज एवं खर्चे के साथ अपनी संपूर्ण देयताएं निष्पादित करने तथा उपरोक्त बकाए राशि का भुगतान करने के लिए प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 6 (2), 8 (6) एवं नियम 9 के अनुपालन में उपरोक्त ऋण खाता के ऋणधारक/ मार्टगैजर/ गारन्टरों के लिए 15 (पन्द्रह) दिनों की सूचना भी है जिसके विफल होने पर उपरोक्त नियमों एवं शर्तों के अनुसार प्रतिभूत परिसंपत्तियों की बिक्री कर दी जाएगी। यदि अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र के प्रकाशनों के बीच कोई असमानता होती है तो अंग्रेजी समाचार पत्र को क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र पर तरजीह दी जाएगी तथा विसंगति दूर करने के लिए उसे निर्णायक कॉपी माना जाएगा यदि बिक्री की तिथि से पूर्व ऋणधारक/गारन्टर कंपनी की सम्पूर्ण बकाया देयता का भुगतान कर देते हैं तो नीलामी रोक दी जाएगी।

विस्तृत विवरणों तथा पूछताछ के लिए प्राधिकृत अधिकारी, एचडीबी फाइनांसियल सर्विस लिमिटेड, श्री विकास आनंद मोबाईल नं. 9711010384 से संपर्क करें।

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 21.10.2020

प्राधिकृत अधिकारी
एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड

www.readwhere.com